स्म मुकदमा 136, L.R. Act नं. 90 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-10.19	पत्रावली जरिये एड० पेश। रिपोर्ट अहलमद देखी गई। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को नकल हैल्र सम्मन जारी होकर पत्रावली 16-1-20 को पेश हो।	
16/1/20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० ओर वास्ते जवाब सरकार 9.4.20 को पेश हो।	
9/4/20	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प [illegible] पर पेश हुई पक्षकार उपस्थित/अनुपस्थित है। प्रकरण मे सहमति का अभाव है। अत: नियमित सुनवाई हेतु दि. 25.6.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
25/6/20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित हो। पेशकार सरकार उप०। वास्ते जवाब 30.6.20 को पेश हो।	
30/6/20	पत्रावली पेश। पेशकार सरकार उपस्थित हो। वकील प्रार्थी उपस्थित हो। पेशकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब शामिल मिसल किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेशकार सरकार को सुना गया। जहाँ एक तरफ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को	

हुक्म	
	को दोहरा कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कथन किये वहीं दूसरी और पैरोकार सरकार द्वारा जवाब के तथ्य दोहराये तथा प्रार्थना पत्र के अनुतोष पर असहमति प्रकट की। बाद बहस हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, जवाब सरकार, प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात पर L.R. Act. 1956 की धारा 136 के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विधिसंगत विचार किया। प्रार्थी का कथन है, कि ग्राम असलवेड़ी की भूमि साबिक आराजी नम्बर १/१३११, ३३/१४११ व ११५/३९११/३ जो उसके लीज ऐरिया में स्थित है, उक्त भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख संवत २०१४ से २०३३ की जमाबंदी में दर्ज है, उक्त अभिलेख में उक्त भूमियों की किस्म "गैर मुमकिन खान" दर्ज थी। हालिया बन्दोबस्त सन् २००५ से २०२५ की अवधि के दरम्यान उक्त भूमि के

नम्बर व तारीख हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नवीन खसरा नम्बर १,५०,१७८ पैमूद किये जाकर उक्त भूमि की किस्म "गैर मुमकिन खान" के स्थान पर "गैर मुमकिन पहार" अंकित कर दी गई है, जिसे पूर्ववत "गैर मुमकिन खान" दर्ज किया जावे। जवाब पैरोकार सरकार में प्रार्थी के कथनों से कोई खास असहमति व्यक्त नहीं की गई। राजहित प्रभावित नहीं होने का जवाब शामिल मिसल है। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत २०१४-२०३३ नकल फर्द मिलान ग्राम अमृतवेड़ी वर्ष २००५-२०२५, नकल जमाबंदी बन्दोबस्त २००५-२०२५ खाता नं० ६८, नकल फर्द बदर सं० १,२,३ स्वीकृत दि० ५.६.९९, नकल जमाबंदी ग्राम अमृतवेड़ी संवत २०५६-५९ खाता नं. ६० से ६६, प्रमाणित नक्शा लीज, माईनिंग लीज एवं पावर ऑफ अटार्नी की प्रति प्रस्तुत की गई है। हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम अमृतवेड़ी २०१४-३३ में साबिक आराजी नं. १, ३२, व ११५ की किस्म अर्थात मृदा वर्गीकरण "गैर मुमकिन खान" अंकित है। फर्द मिलान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की त... में जारी ...
	अनुसार उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 1,50 एवं 178 पैमूद किये जाकर उक्त भूमि की किस्म "गैर मुमकिन पहाड़" दर्ज कर दी गई है। हस्ब नक्शा लीज उक्त भूमि स्ववत आज भी प्रार्थी के लीज ऐरिया में स्थित है। फर्द बदर (शुद्धि पत्र) के माध्यम से दिनांक 04-06-1999 को भी उक्त क्रम में दुरुस्ती कर दी गई थी, प्रथम फर्द बदर की प्रमाणित प्रति संलग्न है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से यह भली भाँति प्रमाणित होता है, कि दौरान बन्दोबस्त प्रकरण वर्णित भूमि का मृदा वर्गीकरण "गैर मुमकिन खान" के स्थान पर "गैर मुमकिन पहाड़" दर्ज कर दिया गया है। उक्त परिवर्तन महकमा बन्दोबस्त द्वारा किया गया है, जो पूर्णतया अनुचित प्रतीत होता है। महकमा बन्दोबस्त को रिकार्ड में इस प्रकार परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। बन्दोबस्त के दरम्यान बन्दोबस्त	

... कर दर्ज आकार किया जाना प्रमाणित है।

महकमा बन्दोबस्त के द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर किया गया कार्य के परिणाम स्वरूप राजस्व रिकार्ड में विधि-विरुद्ध परिवर्तन हुआ है, जो हम विधि के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में शुद्धि योग्य पाते हैं।

अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम अमृतखेड़ी की भूमि हाल खसरा नं० 1 रकबा 2.11 हे० 50 रकबा 2.55 हे० एवं 178 रकबा 5.08 की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ के स्थान पर गैर मुमकिन खान दर्ज की जाकर रिकार्ड में अमल दरामद हो।

पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील व तामील दा० द० हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

30/06/20

(चिमनलाल मीणा)
R.G.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी